जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: प-(   )जविप्रा/अआ/पूर्व/2005/डी- 547)   दिनांक: 21-3-06

<u>कार्यवाही विवरण</u>

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 28 वी बैठक दिनांक 18.03.2006 को प्रात: 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है । बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :-

क0 सं0	जोन संख्या	प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का विवरण	निर्णय	जिसके द्वारा कियान्विति की जानी है
1		28:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की आयोजित 27 वी बैठक दिनांक 27.2.06 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 27 वी बैठक दिनांक 27.2.06 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या अतिरिक्त एजेण्डा आईटम नम्बर 27:5(12) में निम्न संशोधन किया गया :- " प्रकरण को आवंटन की दर निश्चित करने तथा आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें " तथा शेष कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।	
2		28:2	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की आयोजित 27 वी बैठक दिनांक 27.2.06 की अनुपालना रिपोर्ट बाबत।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 27 वी बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट भिजवाने के बाबत जयपुर विकास आयुक्त महोदय के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया । ।	

21/3

3	1	28:3	श्री रामनारायण भूखण्ड संख्या डी-65 झालाना फेज-।। के बढे हुए क्षेत्रफल के आवंटन बावत।	समिति ने प्रकरण पर विचार विमर्श किया । श्री रामनारायण को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या डी-65 झालाना फेज-।। के बढे हुए क्षेत्रफल 9.76 व0मी0 का योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया	उपायुक्त जोन-1
4	1	28:4	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको)को आवंटित भूखण्ड 5 ए सांस्थानिक क्षेत्र में आवंटन के संबंध में	समिति ने प्रकरण पर विचार विमर्श किया । आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको)को भूखण्ड संख्या 5ए झालाना सांस्थानिक क्षेत्र में 16.10.89 को आवंटित किया गया था समयावधि में निर्माण नही करवाये जाने के कारण आवंटन निरस्त कर दिया गया था उक्त निगम ने दिनांक 31.12.06 तक निर्माण अवधि बढाये जाने का अनुरोध किया है । विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि हुडको के आवंटन को बहाल किया जावें तथा राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट (डिस्पोजल आफ अरबन लैण्ड) नियम, 1974 के नियम 18 के अनुसार संस्था से निर्माण करने में हुए प्रत्येक वर्ष के व्यतिकम के लिए भूमि के मूल्य की 2 प्रतिशत राशि के रूप में वसूल की जावें । उक्त प्रकरण को प्राधिकरण की आगामी बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जावें ।	उपायुक्त जोन-1
5	1	28:5	श्री सुरेन्द्र कुमार गोलेछा खातेदार खसरा नम्बर 111/194 रकबा 2विस्वा ग्राम मानपुर देवरी तहसील जयपुर के एवज में अन्यत्र भूमि दिये जाने के संबंध में ।	समिति ने प्रकरण पर विचार विमर्श किया । श्री सुरेन्द्र कुमार गोलेछा खातेदार की ग्राम मानपुर देवरी तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 111/194 की 2 विस्वा भूमि के एवज में अन्य स्कीम में समान क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया । । उक्त प्रकरण को प्राधिकरण की आगामी बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जावें ।	उपायुक्त जोन-1

6	2	28:6	आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा संस्था को भूमि आवंटन बाबत।	समिति ने प्रकरण पर विचार विमर्श किया । आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा संस्थान को ग्राम आकेडा डूगॅर तहसील आमेर के खसरा नम्बर 547/0-56 व 549/1-13 में से 2500 व0मी0 भूमि भू उपान्तरण की शर्त पर जोन की वर्तमान में प्रचलित सांस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया ।	उपायुक्त जोन-2
7	3	28:7	श्री संजय जैन, भूखण्ड संख्या ए-1(बी) शॉपिग सेन्टर, लालकोठी जयपुर के बढे हुए क्षेत्रफल के आवंटन बावत।	समिति ने प्रकरण पर विचार विमर्श किया । श्री संजय जैन को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या एन-1 बी शॉपिंग सेन्टर लालकोठी के बढे हुए क्षेत्रफल 2.5 व0मी0 का आवंटन योजना की वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर की दुगनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया ।	उपायुक्त जोन-3
8	3	28:8	श्री एस.एल. जैन, भूखण्ड संख्या ए-1 शॉपिगसेन्टर, लाल कोठी जयपुर के बढे हुए क्षेत्रफल के आवंटन बावत।	समिति ने प्रकरण पर विचार विमर्श किया । श्री एस.एल. जैन को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या एन-1 शॉपिंग सेन्टर लालकोठी के बढे हुए क्षेत्रफल 3.0 व0मी0 का आवंटन योजना की वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर की दुगनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया ।	उपायुक्त जोन-3
9	3	28:9	श्रीमती कौशल्या जैन, भूखण्ड संख्या ए-1(ए) शॉपिग सेन्टर, लालकोठी जयपुर के बढे हुए क्षेत्रफल के आवंटन बाबत।	समिति ने प्रकरण पर विचार विमर्श किया । श्रीमती कौशल्या जैन को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या एन-1 ए शॉपिंग सेन्टर लालकोठी के बढे हुए क्षेत्रफल 2.45 व0मी0 का आवंटन योजना की वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर की दुगनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया ।	उपायुक्त जोन-3

10	7	28:10	खसरा नम्बर 197 ग्राम खातीपुरा तहसील जयपुर के खातेदार को समर्पित भूमि के बदले बढे हुए क्षेत्रफल के आवंटन की स्वीकृति आयुक्त महोदय से प्राप्त कर आवंटन व लीजडीड जारी की कार्यात्तर की पुष्टि बावत ।	समिति ने प्रकरण पर विचार विमर्श किया । खसरा नम्बर 197 ग्राम बीड खातीपुरा के खातेदार को 15 प्रतिशत विकसित भूमि के आवंटन का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया । आवंटन से शेष बढे हुए क्षेत्रफल 2.45 व0मी0 की भूमि के आवंटन की कार्योतर स्वीकृति भी प्रदान की गई ।	उपायुक्त जोन-7
11	7	28:11	खसरा नम्बर 198 ग्राम खातीपुरा तहसील जयपुर के खातेदार को समर्पित भूमि के बदले बढे हुए क्षेत्रफल के आवंटन की स्वीकृति आयुक्त महोदय से प्राप्त कर आवंटन व लीजडीड जारी की कार्यात्तर की पुष्टि के संबंध में ।	समिति ने प्रकरण पर विचार विमर्श किया । खसरा नम्बर 198 ग्राम बीड खातीपुरा के खातेदार को 15 प्रतिशत विकसित भूमि के आवंटन का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया । आवंटन से शेष बढे हुए क्षेत्रफल 78.13 व0मी0 की भूमि के आवंटन की कार्योतर स्वीकृति भी प्रदान की गई ।	उपायुक्त जोन-7
12	7	28:12	शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की सत्यकालोनी के भूखण्ड संख्या 18 सी की भू पट्टी आवंटन बावत।	समिति ने प्रकरण पर विचार विमर्श किया । दिनांक 23.11.05, 21.12.05 की कमश: 23 व 24 वी बैठक में लिए गए पूर्व का निर्णय को यथावत रखा जावें ।	उपायुक्त जोन-7
13	10	28:13	महिमा शिक्षा समिति द्वारा निजी विश्वविद्यालय हेतु भूमि आवंटन बावत	माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण प्रकरण को स्थगित किया गया ।	उपायुक्त जोन-10

21/3

14	11	28:14	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय चन्दलाई तहसील चाकसू के विद्यालय/खेल मैदान हेतु नि:शुल्क भूमि आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति की पुष्टि बाबत।	समिति ने प्रकरण पर विचार विमर्श किया । राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, चन्दलाई, तहसील चाकसू को राज्य सरकार से नि:शुल्क आवंटन की स्वीकृति प्राप्त होने के आधार पर खसरा नम्बर 3687 में से 5000 व0मी0 भूमि की कार्योत्तर की पुष्टि की गई ।	उपायुक्त जोन-11
15	12	28:15	राजभवन के कर्मचारियों की कालोनी बनाये जाने के संबंध में ।	समिति ने प्रकरण पर विचार विमर्श किया । राजभवन के कर्मचारियों के लिए ग्राम बीलवा खुर्द तहसील बस्सी के खसरा नम्बर 40 में से 16 बीघा भूमि आरक्षित करने के निर्णय की कार्योत्तर पुष्टि की गई ।यह प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति/ पुष्टि हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया ।	उपायुक्त जोन-12
16	12	28:16	श्री लक्ष्मी नारायण यादव को रमल्यावाला डयेरी योजना में अतिरिक्त भूखण्ड आवंटन बावत।	श्री लक्ष्मीनारायण यादव को रमल्यावाला डेयरी योजना में भूखण्ड सख्या 78 क्षेत्रफल 202.50व.मी. का आवंटन करने का निर्णय लिया गया एवं बढे हुए क्षेत्रफल 54 व0मी0, को जोन की वर्तमान में प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की दुगनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया ।	उपायुक्त जोन-12
17	1	अति. एजेण्डा 28:17 (1)	भूखण्ड संख्या जे-32 सुभाष मार्ग सी स्कीम के पीछे रिक्त भू-पटटी आवंटन किये जाने बावत ।	समिति ने प्रकरण पर विचार विमर्श किया । भूखण्ड संख्या जे- 32 सुभाष मार्ग सी स्कीम के पीछे रिक्त भू पट्टी का क्षेत्रफल 109.89 व0ग0 है । आवंटित भूमि का क्षेत्रफल 100 व0ग0 से अधिक होने के कारण प्रकरण को राज्य सरकार को निर्णय हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया ।	उपायुक्त जोन-1

18	2	अति. एजेण्डा 28::17 (2)	विश्वविनायक ग्राम भारतीय शिक्षण एवं पर्यावरण संस्थान को भूमि आवंटन बाबत ।	समिति ने प्रकरण पर विचार विमर्श किया । विश्वविनायक ग्राम भारतीय शिक्षण एवं पर्यावरण संस्थान को ग्राम बढारना तहसील आमेर के खसरा नम्बर 946,947,948 एव 949 में से 2500 व0मी0 भूमि भू उपान्तरण की शर्त पर जोन की वर्तमान में प्रचलित सांस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया ।	उपायुक्त जोन-2
19	9	अति. एजेण्डा 28::17 (3)	स्वामी केशवानंद इन्स्टीटूयूट आफ टेक्नोलोजी को रामनगरीया योजना में 7000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन बावत ।	समिति ने प्रकरण पर विचार विमर्श किया । स्वामी केशवानंद इन्स्टीटूयूट आफ टेक्नोलोजी को रामनगरीया योजना में 7000 वर्ग मीटर भूमि का एल.पी. सी. की 16 वी बैठक दिनांक 6-7.6.05 में जोन की सांस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया था । चूंकि संस्था को प्राधिकरण की रामनगरिया योजना में भूमि आवंटन की गई है , अत: संस्था से उक्त योजना की वर्तमान में प्रचलित सांस्थानिक आरक्षित दर रूपये 2630/- प्रति वर्ग मीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया ।	उपायुक्त जोन-9
20	10	अति. एजेण्डा 28::17 (4)	महिमा शिक्षा समिति द्वारा निजी विश्वविद्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत ।	माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण प्रकरण को स्थगित किया गया ।	उपायुक्त जोन-10

21/3

21	12	अति. एजेण्डा 28:17 (5)	नुपुर होटल प्रा.लि. को होटल/रिसोर्टर्स/ योगा सेन्टर हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में ।	समिति ने प्रकरण पर विचार विमर्श किया । नुपुर होटल प्राईवेट लिमिटेड को ग्राम हरवर तहसील आमेर के खसरा नम्बर 52 व 72 में से 30 बीघा भूमि के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार को परिपत्र कमांक प-3 (28)नविवि/3/96/पार्ट दिनांक 17.11.01 के अन्तर्गत निर्णय करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया ।	उपायुक्त जोन-12
22	12	अति. एजेण्डा 28:17 (6)	टी.जे.लेजर रिसोर्टर्स/ हैल्थ क्लब, स्पा. स्वीमिंग पुल हेतु भूमि आवंटन बाबत ।	समिति ने प्रकरण पर विचार विमर्श किया । टी.जे.लेजर रिसोर्टर्स/ हैल्थ, क्लब, स्पा. स्वीमिंग पुल हेतु को ग्राम हरवर तहसील आमेर के खसरा नम्बर 52 व 72 में से 40 बीघा भूमि के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार को परिपत्र कमांक प-3 (28) नविवि /3/96/पार्ट दिनांक 17.11.01 के अन्तर्गत निर्णय करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया ।	उपायुक्त जोन-12
23	11	अति. एजेण्डा 28:17 (7)	अम्बेडकर शू चप्पल मेकर्स विकास समिति को नीचे दुकान उपर मकान योजना में समिति के सदस्य को भूमि आवंटन करने बाबत ।	समिति ने प्रकरण पर विचार विमर्श किया । अम्बेडकर शू चप्पल मेकर्स विकास समिति को ग्राम डाबला बुजर्ग, तहसील फागी , के खसरा नम्बर 293,295,296,297,298,313,314 एवं 315 में से 3.70 हैक्टेयर भूमि पर उपायुक्त के प्रस्तावानुसार योजना सृजित कर समिति के सदस्यों को भूमि के भू उपान्तरण की शर्तो पर आरक्षण करने का निर्णय लिया गया ।	उपायुक्त जोन-11

24	12	अति. एजेण्डा 28:17 (8)	साहित्य सदावर्त सामिति को भूमि उपलब्ध कराने बाबत।	समिति ने प्रकरण पर विचार विमर्श किया । साहित्य सदावर्त समिति को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम राजावास में 15 हैक्टेयर भूमि दिनांक 30.12.05 को आरक्षित करने का निर्णय लिया गया था प्रार्थी संस्था को 3 माह में विश्वविद्यालय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की लगाई गई थी । संस्था ने उक्त अवधि को 3 माह की और बढाये जाना का निवेदन किया है विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि संस्था के प्रकरण में 3 माह की अवधि बढाई जावें ।	उपायुक्त जोन-12

तत्पश्चात बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई ।

21/3

सदस्य सचिव

एवं

अतिरिक्त आयुक्त-पूर्व

प्रतिलिपि:-

1. वरिष्ठ निजी सहायक, जयपुर विकास आयुक्त महोदय, जविप्रा, जयपुर ।
2. निजी सचिव,सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
3. निदेशक(नगर आयोजना/अभियांत्रिकी/वित्त),जविप्रा, जयपुर ।
4. अतिरिक्त आयुक्त- (प्रशासन)/(पूर्व)/(पश्चिम),जविप्रा, जयपुर ।
5. उपायुक्त जोन्स, जविप्रा, जयपुर ।
6. अतिरिक्त निदेशक- राजस्व एवं सम्पति निस्तारण, जविप्रा, जयपुर ।
7. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली

21/3

सदस्य सचिव

एवं

अतिरिक्त आयुक्त-पूर्व

<u>परिशिष्ट-अ</u>

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

<u>उपस्थिति पत्र</u>

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 28 वी बैठक दिनांक 18.3.2006 में उपस्थिति रहे अधिकारियों की सूची :-

क.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सूरेन्द्र कुमार पारीक, माननीय सदस्य, राजस्थान विधान सभा	सदस्य
2.	श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, माननीय सदस्य , राजस्थान विधान सभा	सदस्य
3.	श्री एस.सी.सोनी, निदेशक-अभि0	सदस्य
4.	श्रीमती कौमुदी गुप्ता, निदेशक- वित्त	सदस्य
5.	श्री शंशाक महागॉवकर, निदेशक-आयोजना	सदस्य
6.	श्री श्रवण साहनी, A.C.East & M.s.Lpc	सदस्य - सचिव
7.	श्री लोकनाथ सोनी, अति.आयुक्त-पश्चिम	सदस्य
8.	श्री गिरिराज अग्रवाल, उपायुक्त जोन-7	विशेष आमंत्रित
9.	श्री आर.पी.शर्मा, उपायुक्त जोन-2	विशेष आमंत्रित
10.	श्री अरूण गर्ग, उपायुक्त जोन-1	विशेष आमंत्रित
11.	श्रीजगजीत सिह, उपायुक्त जोन्-10	विशेष आमंत्रित
12.	श्री सुखवीर सैनी, उपायुक्त जोन-12	विशेष आमंत्रित
13.	श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा उपायुक्त जोन [illegible]	विशेष आमंत्रित